

अनु०-60 → राष्ट्रपति का शपथ:-

अनुपस्थित
↳ SSC-वरिष्ठतम
न्यायाधीश

राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है।

अनु०-62:- राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह तक बाली रह सकता है।

अर्थात :- कार्यवाहक राष्ट्रपति का अवधि - 6 माह

9/11
अनु-61 :- ^{USA} महाभियोग प्रक्रिया :- Impeachment - अर्द्धव्यापिक

- * संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति पर "संवैधानिक असमर्थता" का आरोप तय होगा
- * राष्ट्रपति पर 15 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं किया नहीं किया जायेगा।

→ विशेष बहुमत

- * जिस सदन ने आरोप लगाया था 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित
- * राष्ट्रपति स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से अगले सदन में सफाई प्रस्तुत करेगा।
- * यह सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करे तो महाभियोग पूर्ण

- * विधान सभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता।
- * संसद के मनोनित सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
- * विधान परिषद न तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, ना ही पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेता है।

Note महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होते ही राष्ट्रपति का पद तत्काल प्रभाव से रिक्त हो जाएगा।

राष्ट्रपात की शक्ति

सामान्य शक्ति

- विधायी शक्ति ✓
 - प्रशासनिक शक्ति
 - न्यायिक शक्ति
 - कार्यपालिका की शक्ति
 - सैन्य शक्ति
 - विदेश नीति
 - वित्तीय शक्ति
- अ. 53

आपात कालिन

- राष्ट्रीय आपातकाल
- राष्ट्रपात शासन
- वित्तीय आपातकाल